

**स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS)**[होम \(/SRMS/Default.aspx\)](#)[मान्यता आवेदन \(\)](#)[रिपोर्ट \(\)](#)[RTE at Once](#)**RTE के अंतर्गत मान्यता हेतु स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन की स्थिति देखें**[Back](#)**स्कूल क्रमांक**

PS 147034

[स्थिति देखें](#)**स्कूल की सामान्य जानकारी**

स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणिक सत्र	जिला	मान्यता का प्रकार
Sanskaar Academy	23271207002	2022-23	KHARGONE	नवीनीकरण मान्यता

**मान्यता की स्थिति****मान्यता की वर्तमान स्थिति :** Recognized (Apr 1 2022 12:00AM-Mar 31 2025 12:00AM)**आवेदन की स्थिति**

आवेदन की वर्तमान स्थिति : जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन लॉक

**आवेदन की स्थिति****स्कूल द्वारा आवेदन**

आवेदन दर्ज दिनांक : 03/02/2022

आवेदन लॉक दिनांक : 21/02/2022

आवेदन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित दिनांक : 21/02/2022

**ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण**

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल भ्रमण दिनांक : 11/03/2022

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा टीप : मान्यता नवीनीकरण करना उचित होगा

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई : मान्यता देना है

आवेदन लॉक दिनांक : 11/03/2022

जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित दिनांक : 11/03/2022

**स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS)**[होम \(/SRMS/Default.aspx\)](#)[मान्यता आवेदन \(\)](#)[रिपोर्ट \(\)](#)[RTE at Once](#)


Madhya Pradesh State RTE Portal - Designed and Developed by NIC, School Education Department, Government of Madhya Pradesh. All Rights Reserved.

The System has been designed & developed by NIC as per the requirements of the department.

The system is operated by the concerned officials and officers of the department as per the Instructions/orders. Data, contents, processes are fully managed and updated by the department officials.

Server IP : 10.115.197.100

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ सब बढ़

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (KHARGONE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:- 06/03/2019

क्रमांक:/27178220/स्कूल आई.डी. - 1639  
प्रति,

प्रबंधक,

(Sanskaar Academy)


विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Sanskaar Academy, Gram- Mukundpura ( Lendipura ) Tehsil- Kasravad, Mumbai-Agra road ( NH-3 ), THIKRI, Dist- Khargone को कक्ष 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्ष 8 से अग्री की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पञ्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को आरीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

  
District Education Officer  
DISTT-KHARGONE  
Page 1 of 2


- स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएँ		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन	किराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	85000	85000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000	17500
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	17500	67500

अधोसंरचना का विवरण					
कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	25	500	25	500
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	150	5	150
3	भोजनालय-सह-भण्डार	1	80	1	80

अन्य सुविधाएँ		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	3000	3000
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	7	7
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	9	9
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अनिन्य सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..27178220.. एवं डाईसकोड (DISE) 23271207002 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपांबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 KHARGONE  
 जिला मध्यप्रदेश